स0स0–1/विविध–63/2021– 130(7A)

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शंभु शरण, भा०प्र०से०
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

द्वारा– **आंतरिक वित्तीय सलाहकार।**

पटना, दिनाक–20/03/2026

विषयः– **अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना के परिसर में 248 शय्या (216 शय्या डॉरमेट्री एवं 32 निजी कमरा) के धर्मशाला भवन के निर्माण कार्य हेतु बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि0, पटना से प्राप्त प्राक्कलन एवं तकनीकी अनुमोदन के आधार पर रु० 14,85,00,000/– (रुपये चौदह करोड़ पचासी लाख) मात्र की लागत पर स्कीम (योजना) की प्रशासनिक स्वीकृति के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 में रु० 2,00,00,000/–(रूपये दो करोड़) मात्र के व्यय की स्वीकृति।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त के सबध मे कहना है कि भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा संचालित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना राज्य का अतिमहत्वपूर्ण स्वायत्तशासी चिकित्सा सस्थान है, जहॉ राज्य के कोने–कोने से तथा अन्य राज्यो से भी काफी सख्या मे मरीज अपने इलाज हेतु आते है। मरीजो के इलाज के क्रम मे बाहर से आये मरीजों के सहचरों को रहने में काफी कठिनाइयो का सामना करना पडता है। इस समस्या के निराकरण हेतु अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान सस्थान, पटना के परिसर मे एक धर्मशाला का निर्माण किये जाने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया।

तद्क्रम मे प्रस्तावित 248 शय्या के धर्मशाला भवन के निर्माण कार्य हेतु कार्यकारी एजेन्सी, बिहार चिकित्सा सेवाएॅ एवं आधारभूत संरचना निगम लि0, पटना से प्राप्त तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन के आधार पर कुल रु० 14,85,00,000/– (रुपये चौदह करोड पचासी लाख) मात्र की स्कीम (योजना) की प्रशासनिक एव व्यय की स्वीकृति विभागीय राज्यादेश सं०–186(1), दिनाक–15 03 2024 द्वारा दी गयी। उक्त विभागीय राज्यादेश द्वारा दी गयी व्यय की स्वीकृति के विरूद्ध उक्त राशि की निकासी नही हो सकी।

2– उक्त परिप्रेक्ष्य मे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना के परिसर मे 248 शय्या (216 शय्या डॉरमेट्री एव 32 निजी कमरा) के धर्मशाला भवन के निर्माण कार्य हेतु बिहार चिकित्सा सेवाएॅ एवं आधारभूत संरचना निगम लि0, पटना से प्राप्त प्राक्कलन एव तकनीकी अनुमोदन के आधार पर रु० 14,85,00,000/– (रुपये चौदह करोड पचासी लाख) मात्र की लागत पर स्कीम (योजना) की प्रशासनिक स्वीकृति के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 मे रु० 2,00,00,000/–(रूपये दो करोड) मात्र के व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3– कार्यकारी एजेन्सी, बिहार चिकित्सा सेवाएॅ एव आधारभूत सरचना निगम लि0, पटना द्वारा योजना का क्रियान्वयन/राशि का व्यय, स्वास्थ्य विभागीय राज्यादेश स०–186(1), दिनाक–15 03 2024 में निहित शर्तो के आधार पर कराया जायेगा।

क्रमश

4– इस निर्माण की राशि के व्यय का वहन मॉग सख्या–20, मुख्य शीर्ष–4210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय, उपमुख्य शीर्ष–03–चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसधान, लघु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियो के लिए विशेष घटक योजना, उप–शीर्ष– 0101–मेडिकल कॉलेजो हेतु, विपत्र कोड–20–4210037890101 अंतर्गत विषय शीर्ष 53–मुख्य निर्माण कार्य के 0101–53–01 मुख्य निर्माण कार्य ईकाई मे उपबंधित राशि/तृतीय अनुपूरक आगणन से प्राप्त राशि से किया जाएगा।

5– इस राशि के निकासी एव व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव–सह–निकासी एव व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना होगे तथा नियत्रण पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।

6– अवर सचिव–सह–निकासी एव व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना बी0टी0सी0 फॉर्म–46 में तैयार विपत्र के माध्यम से राशि को नगद नही बल्कि खाता अतरण के माध्यम से बिहार चिकित्सा सेवाएँ एव आधारभूत सरचना निगम लिमिटेड, पटना को उपलब्ध करायेगे, जो उक्त राशि को पी0एल0 एकाउन्ट स0–PBBPLA007, विपत्र कोड–00-8448001110002-0001 के अतर्गत ledger ID मे जमा कर राशि का खर्च विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए करेगे।

7– बिहार चिकित्सा सेवाएँ एव आधारभूत सरचना निगम लिमिटेड, पटना पी0एल0 एकाउण्ट का धन ऋण ज्ञापन (Plus-Minus Memoranda) तथा पी0एल0 खाते मे प्राप्ति का चालान एव व्यय के सुसगत वाउचर/उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ विहित प्रपत्र मे ससमय कोषागार पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को प्रेषित करना सुनिश्चित करायेगे एव इसकी प्रति विभाग को भी उपलब्ध करायेंगे।

8– राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र सख्या–2561/वि0(2), दिनाक–17.04 1998, 2880/वि0(2), दिनाक–06 05 2006, 2938/वि0(2), दिनाक–08.04.2008, 3758/वि0, दिनाक–31 05.2017 एव 12888/वि०, दिनाक–03 12 2024 तथा अद्यतन परिपत्रों के आलोक मे की जायेगी।

9– प्रस्ताव एवं प्रारूप पर सचिव, स्वास्थ्य विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

10– प्रारूप मे आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति सचिका सं0–1/विविध–63/2021 के पृष्ठ सख्या 93 ... /प० मे प्राप्त है।

11– यह मात्र स्वीकृत्यादेश है, आवटन CFMS के माध्यम से निर्गत किया जायेगा।

12– राशि की निकासी वित्त विभाग के पत्राक–2779/वि0 दिनाक–19 03 2026 द्वारा निर्गत शिथिलीकरण आदेश के क्रम में सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी। इस सदर्भ मे महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(शंभु शरण)

सरकार के अपर सचिव,

ज्ञापाक:–1/विविध–63/2021– 130 (7A) /स्वा0, पटना, दिनाक–20 / 03 /2026

प्रतिलिपि– महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/योजना एव विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/प्रमडलीय आयुक्त, पटना प्रमण्डल, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/अवर सचिव–सह–निकासी एव व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– निदेशक, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, फुलवारीशरीफ, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान आप्त सचिव/आतरिक वित्तीय सलाहकार, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/लेखा शाखा (दो प्रतियो में), स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

20/3/26

सरकार के अपर सचिव।

पत्र सं०-एम-4-10/2026..2779../वि०

बिहार सरकार

वित्त विभाग

प्रेषक,

अजय कुमार ठाकुर,
संयुक्त आयुक्त ।

सेवा में,

वरीय कोषागार पदाधिकारी,
सचिवालय कोषागार,
विकास भवन, पटना ।

पटना-15, दिनांक.19-03-26

विषय :- **वित्तीय वर्ष 2025-26 में राशि की निकासी हेतु बंधेज शिथिलीकरण के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत विभिन्न चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों के निर्माण के लिए कुल ₹1108.07 करोड़ की निकासी हेतु वित्त विभागीय पत्रांक-1354 दिनांक-06.02.2026 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश को शिथिल करने का अनुरोध किया गया है।

समीक्षोपरान्त संदर्भित प्रस्ताव के आलोक में मात्र ₹530.00 करोड़ की निकासी हेतु वित्त विभागीय पत्रांक-1354 दिनांक-06.02.2026 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश को शिथिल किया जाता है।

उक्त राशि वित्तीय वर्ष 2025-26 में मांग संख्या-20 के विपत्र कोड-20-4210-03-050-0103, 20-4210-01-110-0111 एवं 20-4210-03-789-0101 के विषय शीर्ष-5301-मुख्य निर्माण कार्य मद में किये गये उपबंध से विकलनीय होगा ।

विश्वासभाजन

19/3/2026

(अजय कुमार ठाकुर)
संयुक्त आयुक्त

ज्ञापांक:-एम-4-10/2026 2779./वि०, पटना-15, दिनांक..19-03-26

प्रतिलिपि:-सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (संचिका सं०-07/बजट-46-43/2025-26/25-26 में प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में) को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/3/2026

संयुक्त आयुक्त